समाहरणालय समस्तीपुर
(जिला निर्वाचन प्रशाखा)

दूरभाष सं0– 06274–227327
ई–मेल–dyeo samastipur@yahoo.co.in

अल्पकालीन निविदा सूचना

समस्तीपुर जिला अन्तर्गत बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2015 के क्रम में प्रयुक्त होनेवाली 1 मानकीकृत वोटिंग कम्पार्टमेन्ट 2. कम्प्यूटर, सी0सी0 टी0वी0 कैमरा, लाइव वेबकास्टिंग, टीवी डिश के साथ इत्यादि भाड़ा पर 3. GPRS- enablec tracking unit रेंटल आधार पर लगाने हेतु 4. स्टील बक्स 5. अल्पाहार (भोजन सामग्री एवं पानी) न्यूनतम दर प्राप्त करने हेतु मुहरबन्द लिफाफे में दिनांक 28.08.2015 के 12:00 बजे अपराह्न तक इच्छुक फर्मो से निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा उसी दिन दिनांक 28.08. 2015 को 02:00 बजे अपराह्न में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खोले जाने के समय निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है, निविदा की शर्ते निम्नवत् हैं :–

1. कोई भी निविदा निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबन्द लिफाफा में रहेगा। उक्त दोनो लिफाफा को एक अलग लिफाफा में मुहर बन्द करके प्रस्तुत किया जायेगा।
3. तकनीकी निविदा सर्वप्रथम खोला जायेगा। तकनीकी निविदा के शर्त्तो के अनुसार पात्रता रखने वाले फर्मों का वित्तीय निविदा से सम्बंधित लिफाफा खोला जायेगा।
4. निविदा में अंकित सभी सामग्रियों का दर करयुक्त होना चाहिए। अलग से कर देय नहीं होगा।
5. सामग्रियों का नमूना निविदा के साथ संलग्न करना अनिर्वाय होगा।
6. आईटमवार निविदा अलग–अलग लिफाफें में देनी होगी तथा प्रत्येक आईटम के लिये अलग–अलग अग्रधन की राशि से संबंधित नाजीर रसीद/ बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।
7. निविदादाताओं को VAT वाणिज्यकर तथा आयकर विभाग में निबंधित होना चाहिए तथा अद्यतन कर शोधन प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
8. निविदा के साथ मो0 **₹10,000/–** (दस हजार) अग्रधन नाजीर रसीद या बैंक ड्राफ्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी, समस्तीपुर के पदनाम से प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा । प्रत्येक आईटम के लिए अलग–अलग अग्रधन जमा किया जाना है।
9. कार्य आवंटन होने के पश्चात् जिला निर्वाचन पदाधिकरी, समस्तीपुर के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक सामग्री उपलब्ध कराना होगा इसके लिए किसी प्रकार का मार्ग व्यय अलग से देय नहीं होगा।
10. भुगतान की प्रक्रिया सामग्री की गुणवत्ता के आधार पर की जायेगी।
11. निविदा में बिना कारण बतायें संशोधन करने, स्थगित करने या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
12. निर्वाचन कार्य में अनुभवी एवं स्थानीय निविदादाता को प्राथमिकता दी जायेगी।
13. कार्य की अधिकता होने पर न्यूनतम दर पर कार्य बंटवारा एक से अधिक वेंडर को किया जा सकता है।
14. निविदा प्रपत्र जिला निर्वाचन कार्यालय, समस्तीपुर से कार्य अवधि में कार्य दिवस को ₹250.00 (दो सौ पच्चास) मात्र जमा कर प्राप्त किया जा सकता हैं जो वापस नहीं होगा।

    विस्तृत जानकारी के लिए website-www.samastipur.bih.nic.in एवं www.prdbihar.org पर देखा जा सकता है।